



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1940 (श०)

(सं० पटना 158) पटना, शुक्रवार, 1 फरवरी 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2019

सं० 02/CMT (शुल्क संशोधन)–35/2014–1003/परि०– मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या–562, दिनांक–17 जनवरी, 2019 द्वारा किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।— (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी ।

- (2) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
- (3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 163 'ग' के क्रम संख्या–01 एवं 02 के कॉलम–02 एवं 03 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

वाहनों का प्रकार	अवधारित फीस	अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि
(1) दो पहिया वाहन	80 रु०	25 रु०
(2) तीन पहिया वाहन	100 रु०	35 रु०

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 74 (ज) के पश्चात् एक निम्नलिखित उपनियम–(ट) जोड़ा जाता है :—

"(ट) (i) मोटरसाइकिल (मोटरबाइक टैक्सी) परमिट के आवेदन हेतु भुगतेय फीस निम्नवत् होगी :—

गाड़ी का प्रकार	भुगतेय फीस
कन्फ्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाइक टैक्सी	150 रु०

(ii) परमिट की स्वीकृति या नवीकरण या शर्तों के विचलन हेतु फीस निम्नवत् होगी:-

गाड़ी का प्रकार	भुगतेय फीस
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का एक क्षेत्र के लिए	1000 रु0
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का दो क्षेत्र के लिए	1250 रु0
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का दो से अधिक क्षेत्र के लिए	1500 रु0

(iii) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट के नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के साथ भुगतेय फीस निम्नवत् होगी :-

मोटरबाईक टैक्सी के नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन फीस	150 रु0
--	---------

(iv) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट के नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु देय फीस निम्नवत् होगी :-

गाड़ी का प्रकार	भुगतेय फीस
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का एक क्षेत्र के लिए नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर	1000 रु0
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का दो क्षेत्र के लिए नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर	1250 रु0
कन्ट्रैक्ट कैरेज (आकस्मिक अथवा विशेष) मोटरबाईक टैक्सी का दो से अधिक क्षेत्र के लिए नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर	1500 रु0

(v) टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर के आवेदन/लाईसेंस/नवीकरण/द्वितीयक प्रति/विलंब दण्ड फीस/अपील हेतु फीस निम्नवत् होगी :-

टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर के लाईसेंस/ नवीकरण के लिए आवेदन फीस	10000 रु0
टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर के लाईसेंस/ नवीकरण के लिए फीस	50000 रु0
टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर की लाईसेंस के नवीकरण के लिए विलंब दण्ड फीस प्रतिमाह या उसके किसी अंश के लिए	बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-82 के अन्तर्गत विहित फीस के अनुरूप देय ।
टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर के अनुज्ञप्ति के मूल प्रति खो जाने, बार्बाद हो जाने, फट जाने या विरुपित हो जाने के मामले में द्वितीयक प्रति हेतु फीस	5000 रु0
टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी एग्रीगेटर के लाईसेंस निलंबन, रद्दीकरण अथवा नवीकरण के इन्कार की स्थिति में अपील हेतु आवेदन फीस	100 रु0

4. साफ्टवेयर आधारित व्यावसायिक वाहनों, जिसमें टैक्सी और मोटरसाईकिल भी सम्मिलित है, को बढ़ावा देने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(ग) अधिनियम की धारा-88 (8) के तहत निर्गत होने वाले विशेष परमिट के लिए फीस निम्नवत् होगी:-

वाहनों का प्रकार	भुगतेय फीस
(1) प्रत्येक सात दिन या उसके किसी भी भाग के लिए	200 रु0

अधिनियम की धारा-87 के तहत निर्गत होने वाले अस्थायी परमिट के लिए फीस निम्नवत् होगी :-

वाहनों का प्रकार	मुगतेय फीस
(1) चार माह के लिए (ऑटो रिक्शा/मोटरबाइक टैक्सी के अतिरिक्त)	1000 रु0
(2) चार माह के लिए (ऑटो रिक्शा)	500 रु0
(3) चार माह के लिए (मोटरबाइक टैक्सी)	300 रु0 "

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 (ज्ञ) (vii) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (viii), (ix) एवं (x) जोड़ा जाता है :-

(viii) राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत मालवाहक के स्थायी परमिट हेतु — 7000 रु0 परमिट फीस

(ix) अधिनियम की धारा- 88 (9) के अन्तर्गत पर्यटक वाहनों को निर्गत — 500 रु0 होने वाले पर्यटक परमिट हेतु आवेदन फीस

(x) अधिनियम की धारा- 88 (9) के अन्तर्गत पर्यटक वाहनों को निर्गत — 8000 रु0 होने वाले पर्यटक परमिट हेतु परमिट फीस

6. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-31 एवं 82 में परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-2703, दिनांक-22.05.2017 के नियम-03, जिसके द्वारा नियम-31 एवं 82 को प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन किया गया था, को क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“31. सवारी गाड़ी के संवाहक के बैज।-

(1) सवारी गाड़ी संवाहक अपने छाती के बायें भाग पर दूसरी अनुसूची में वर्णित प्रपत्र में एक बैज प्रदर्शित करेगा जिसमें उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अंकित होगा।

(2) सवारी गाड़ी का कोई संवाहक उनके द्वारा धारित बैज प्रदर्शित नहीं करेगा, यदि किसी प्राधिकारी द्वारा उनको संवाहक अनुज्ञाप्ति स्थगित कर प्रतिसंग्रहित किया गया होगा, या समय पूरा होने के कारण उनको संवाहक अनुज्ञाप्ति प्रभावहीन हो गया हो।

(3) संवाहक राज्य में किसी प्राधिकारी द्वारा निर्गत ऐसे बैज एक से अधिक संख्या में नहीं रखेगा।

(4) यदि किसी समय सक्षम पदाधिकारी या न्यायालय द्वारा संवाहक की अनुज्ञाप्ति निलंबित या रद्द कर दी जाती है या प्रभावहीन न हो जाती है तो संवाहक एक सप्ताह के भीतर उस प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रत्यर्पित कर देगा जिस प्राधिकारी ने उसे निर्गत किया है।

(5) चालक/संवाहक के बैज निर्गत करने का फीस।-

(i) चालक के बैज हेतु फीस। — 100 रु0

(ii) संवाहक के बैज हेतु फीस। — 100 रु0

82. परमिट अथवा प्रतिहस्ताक्षरण का नवीकरण।-

(1) किसी परमिट अथवा किसी प्रतिहस्ताक्षरण के नवीकरण के लिए आवेदन नियम-73 के तहत निर्धारित प्रपत्र में उस परिवहन प्राधिकार के समक्ष नियम-74 के तहत निर्धारित शुल्क के साथ दाखिल करना होगा, जिसके द्वारा परमिट अथवा प्रतिहस्ताक्षरण निर्गत किया गया हो। साथ ही यथा स्थिति परमिट अथवा प्रतिहस्ताक्षरण उसे संलग्न करना होगा।

(2) धारा-51 की उप-धारा (9) एवं धारा-81 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अध्यधीन परिवहन प्राधिकार परमिट अथवा प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण कर सकता है।

(3) परिवहन प्राधिकार जो किसी परमिट का नवीकरण करता है, वह परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण भी उसी तरह करेगा यदि कि उस परिवहन प्राधिकार, जिसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया है, की ओर से सामान्य या विशेष प्रस्ताव के द्वारा अन्यथा कोई निदेश न दिया जाए तथा परमिट एवं उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण होने के तथ्य की सूचना उस परिवहन प्राधिकार को देगा जिसके द्वारा मूल रूप में परमिट का प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो। जबतक इस नियम के अधीन प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण नहीं हो जाता उसमें अंकित मान्यता की तिथि के बाद परमिट किसी तरह से प्रभावी नहीं होगा।

(4) नियम-81 के उपबंधों के अनुसार मूल परिवहन प्राधिकार जो किसी दूसरे क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में परिचालन हेतु किसी परमिट का नवीकरण करता है, वह परमिट के नवीकरण होने के तथ्य की सूचना उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के परिवहन प्राधिकार को देगा।

(5) परिवहन प्राधिकार जो किसी अनुज्ञा-पत्र को किसी अन्य क्षेत्र या राज्य में प्रभावी होने के लिए उस पर प्रतिहस्ताक्षर करके नवीकृत करता है। अनुज्ञा-पत्र के नवीकरण के तथ्य की सूचना उस परिवहन प्राधिकार को देगा, जिसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया था।

(7) परिवहन प्राधिकार जो उप-नियम (2) के अधीन किसी प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण करता है प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के तथ्य की सूचना उस परिवहन प्राधिकार को देगा जिसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया गया था।

(8) स्वीकृत अस्थायी/ स्थायी किसी तरह के परमिट की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व, नवीकरण हेतु आवदेन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें असफल होने पर निम्नलिखित विलम्ब फीस भुगतये होगी :-

अवधि	विलम्ब फीस
(i) परमिट की वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर।	00 रु0
(ii) परमिट की वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के भीतर।	300 रु0
(iii) परमिट की वैधता की समाप्ति के 30 दिन के बाद परन्तु 60 दिनों के भीतर।	600 रु0
(iv) परमिट की वैधता की समाप्ति 60 दिनों के बाद परन्तु 90 दिनों के भीतर।	1200 रु0
(v) परमिट की वैधता की समाप्ति के 90 दिनों के बाद	90 दिन के लिए 2400 रु0 + प्रति माह 300 रु0 या 90 दिन से अधिक जो भी अधिक हो, 10000 रु0 अध्यधीन।
	"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 1st February 2019

No.-02/CMT (शुल्क संशोधन)-35/2014-1003/परि0-In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in The Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 the Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through Notification No.- 562, dated- 17th January, 2019.

1. Short name, extension & commencement.— (1) These Rule may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule 2019.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of its final publication in the Bihar Gazette.

2. Column-02 and 03 of serial no.-01 and 02 of rule-163 'c' of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 is substituted by following :-

Types of Vehicle	Fixed Fee	Amount payable to Government out of fixed fee.
Two wheeler	Rs. 80	Rs. 25
Three wheeler	Rs. 100	Rs. 35

3. The following sub rule-K is added after rule-74 (J) of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 as follows :-

" (K) (i) Application fee for Permit of Motorcycle (Motorbike taxi) will be as follows :-

Types of Vehicle	Payable Fee
Contact Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi	Rs. 150

(ii) Fee for approval or renewal or change of conditions of a permit shall be as follows :-

Types of Vehicle & Region	Payable Fee
Contact Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for One Region	Rs. 1000
Contact Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for Two Region	Rs. 1250
Contact Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for more than Two Region	Rs. 1500

(iii) Application fee for Countersignature/Renewal of a permit other than Temporary permit :-

Application fee for Countersignature/Renewal of a permit for Motorbike Taxi	Rs. 150
---	---------

(iv) Fee for Countersignature/Renewal of a permit other than Temporary permit :-

Types of Vehicle	Payable Fee
Contract Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for One Region	Rs. 1000
Contract Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for Two Region	Rs. 1250
Contract Carriage (Casual or Special) Motorbike Taxi for more than Two Region	Rs. 1500

(v) Fee for Application/Licence/Renewal/Duplicate copy/late Fine/Appeal for Taxi/ Motorbike Taxi Aggregator :-

Application Fee for Licence/Renewal of Licence of Taxi/Motorbike Taxi Aggregator	Rs. 10000
Fee for Licence/Renewal of Licence of Taxi/ Motorbike Taxi Aggregator	Rs. 50000
Late Fine of Renewal of Licence of Taxi/Motorbike Taxi Aggregator for per month or any part thereof	Similar as Rule 82 of Bihar Motor Vechicle Rule, 1992
Fee for issuance of duplicate copy of licence for taxi/motorbike taxi aggregator	Rs. 5000
Fee for appeal in case of rejection/suspension of application of licence or its renewal of taxi/motorbike taxi aggregator	Rs. 100

4. To encourage the operation of software based commercial vehicle including Taxi and Motor Bike Taxi, rule 74 (c) of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 is substituted by following :-

"(c) Fee for special permit which is issued under subsection 8 of section 88 of MV Act, 1988 shall be as follows :-

Types of Vehicle	Payable Fee
(1) For every seven days or any part thereof	Rs. 200

Fee for temporary permit which is issued under subsection 87 of MV Act, 1988 shall be as follows :-

Types of Vehicle	Payable Fee
(1) For four month (other than autorikshaw/ motorbike taxi)	Rs. 1000
(2) For four month (for autorikshaw)	Rs. 500
(3) For four month (for motorbike taxi)	Rs. 300

"

5. The following subrules are added after rule 74(j) (vii) of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 :-

- (viii) Permit fee National permit for goods carriage – Rs. 7000
- (ix) Application fee of Tourist permit for tourist vehicle, which is issued under subsection (9) of section 88 of MV Act 1988 – Rs. 500
- (x) Permit fee of Tourist permit for tourist vehicle, which is issued under subsection (9) of section 88 of MV Act 1988 – Rs. 8000

6. Rule- 31 and Rule- 82 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 which was amended by rule- 3 of notification no.- 2703, dated-22.05.2017 of Transport Department is substituted by following respectively :-

"31. Badge of conductors of the stage carriages :-

- (1) A conductor of stage carriage shall display on his left chest a badge in the form illustrated in the Second Schedule, inscribed with the particulars specified in the said schedule.
- (2) No conductor of a stage carriage shall display the badge held by him if his conductor's licence is suspended or revoked by an authority or if his conductor's licence has ceased to be valid by efflux of time.
- (3) A conductor shall not hold more than one such badge issued by an authority in the state.
- (4) If at any time a conductor's licence is suspended or cancelled by a competent authority or by any court or ceases to be valid, the conductor shall, within seven days, surrender the badge to the authority by which it was issued.

(5) Fee for issue of badge of driver/conductor:-
 (i) Fee for badge of driver . - Rs.100
 (ii) Fee for badge of conductor. - Rs.100

82. *Renewal of permits or countersignature:-*

(1) An application for renewal of a permit or a countersignature of a permit shall be made in the form prescribed under rule 70, to the Transport Authority by which the permit or countersignature of a permit was issued and shall be accompanied by the permit or the countersignature, as the case may be, and the fee prescribed under rule 74.

(2) Subject to the provisions of sub-section (9) of Section 52 and sub-section (4) of Section 81, the Transport Authority may renew the permit or the countersignature, as the case may be.

(3) The Original Transport Authority which renews a permit may unless any Transport Authority by which the permit has been countersigned has, by general or special resolution, otherwise directed, like-wise renew the countersignature of the permit, and shall intimate the fact of renewal of permit and its countersignature to the Transport Authority by which the permit was originally countersigned.

(4) Unless the countersignature is renewed under this rule, it shall be of no effect beyond the date of expiry stated therein.

(5) The Original Transport Authority which renews a permit to be operative in any other region or regions in accordance with the provisions of rule 81 shall intimate, the fact of renewal of permit to the Transport Authority of that region or regions.

(6) The Original Transport Authority which renews a permit to be operative in any other region or state by way of a countersignature on it, shall intimate, the fact of renewal of permit, to the Transport Authority by which the permit has been countersigned.

(7) The Transport Authority which renews a countersignature of a permit under sub-rule (2), shall intimate the fact of renewal of countersignature to the Transport Authority by which the permit was issued.

(8) The following Late fee shall be payable if an owner of vehicle fails to apply for renewal within 15 days from the date of expiry of a Temporary Permit/ permanent Permit :-

Period	Amount of late fee
(i) Up to expiry date or within 15 days of the expiry date	Rs. 00
(ii) After the date of expiry but within 30 days	Rs.300
(iii) After 30 days of the date of expiry, but within 60 days of the date of expiry	Rs. 600

Period	Amount of late fee
(iv) After 60 days, but within 90 days after the date of expiry	Rs. 1200
(v) After 90 days of expiry of the validity of permit.	Rs. 2400 for 90 days + Rs. 300 per month or beyond 90 days subject to maximum of Rs.10000 "

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 158-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>